Ph: 0510-2471450
E-mail: conservatorjhansi@gmail.com

कार्यालय वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, बुन्देलखण्ड वृत्त, उ0प्र0 झांसी

पत्रांक– 1340 / 33–1 / दिनांक, झांसी, सितम्बर 09 2017

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
झांसी एवं उरई।

विषय– पावर ग्रिड कार्पो0 ऑफ इण्डिया लि0 झांसी द्वारा 765 के0वी0 द्विपक्षीय लिलो सतना–ग्वालियर विद्युत पारेषण लाईन के निर्माण मे झांसी वन प्रभाग में 0.1742 हे0 संरक्षित वन भूमि के पातन तथा उरई वन प्रभाग में 0.1144 हे0 संरक्षित वन भूमि बाधक 14 वृक्षों के पातन अर्थात कुल 0.2886 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित कुल 22 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भ– मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ0प्र0 लखनऊ का पत्रांक 623/11–सी–एफ0पी0/यू0पी0/ट्रान्स/22022/2016 दिनांक 31.07.2017।

उपरोक्त विषयक प्रस्ताव में भारत सरकार द्वारा लगाई गयी आपत्तियों का निस्तारण कर समेकित संशोधित प्रस्ताव इस कार्यालय के पत्रांक 675/33–1 दिनांक 08.08.2017 से पावरग्रिड के अभियन्ता के माध्यम से नोडल अधिकारी उ0प्र0 लखनऊ को प्रेषित किया गया था। पावर ग्रिड के मुख्य प्रबन्धक ने अपने पत्र दिनांक 07.09.2017 से सूचित किया है कि उक्त प्रस्ताव में नोडल अधिकारी कार्यालय मे परीक्षण कर लोकनिर्माण विभाग की अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करने को कहा गया है।

अतः आप प्रयोक्ता ऐजेन्सी से प्रस्ताव में झांसी व उरई लोक निर्माण विभाग की अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर अपने कार्यालय के माध्यम से संशोधित प्रस्ताव तीन प्रतियों में इस कार्यालय को प्रेषित करें।

9/9/17
(अशोक कुमार)
वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक
बुन्देलखण्ड वृत्त, झांसी

पृष्ठांकन संख्या– /समदिनांक।

प्रतिलिपि – मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ0प्र0 लखनऊ को संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ।

प्रतिलिपि – मुख्य प्रबन्धक/पावर ग्रिड कार्पो0 इण्डिया लि0, ए–13 बालाजी ग्रीन कालौनी मैन फिल्टर रोड दतिया गेट वाहर झांसी को सूचनार्थ एवं इस आशय से प्रेषित कि आप शीघ्र पी0डब्लू0डी0 से विषयक प्रस्ताव के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर 4–4 प्रतियों में प्रभागीय वनाधिकारी उरई व झांसी के कार्यालय में प्रस्तुत कराने का कष्ट करें।

(अशोक कुमार)
वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक
बुन्देलखण्ड वृत्त, झांसी

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांक– 628 / 11–सी–FP / UP / Trans / 22022 / 2016 ,लखनऊः दिनांकः अगस्त 31 ,2017

सेवा में,

वन संरक्षक / क्षेत्रीय निदेशक,
बुन्देलखण्ड वृत्त,
झाँसी।

विषय– पावर ग्रिड कार्पो0 ऑफ इण्डिया लि0 झाँसी द्वारा 765 के0वी0 द्विपक्षीय सिंगल सतना–ग्वालियर विद्युत पारेषण लाईन के निर्माण में झांसी वन प्रभाग में 0.1742 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं 08 वृक्षों के पातन तथा उरई वन प्रभाग में 0.1144 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 14 वृक्षों के पातन अर्थात कुल 0.2886 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित कुल 22 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ– भारत सरकार का पत्रांक–8बी / यूपी / 04 / 29 / 2017 / एफ0सी0 / 61, दिनाँक–28.06.2017 एवं इस कार्यालय का पृष्ठांकन सं0–2763 / 11–सी–FP / UP / Trans / 22022 / 2016 दिनाँक–30.06.2017

महोदय,

भारत सरकार के उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा विषयगत प्रस्ताव में की गई आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण कर संशोधित प्रस्ताव अभी तक इस कार्यालय को प्रेषित नहीं किया गया है, जिसके कारण प्रस्ताव उच्च स्तर को प्रेषित किया जाना संभव नहीं है। अतः भारत सरकार के उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा विषयगत प्रस्ताव में की गई आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण के पश्चात् पूर्ण समेकित प्रस्ताव इस कार्यालय को 03 प्रतियों में उपलब्ध करायें, ताकि आवश्यक कार्यवाही की जा सके।

भवदीय

(डा0 प्रशान्त कुमार वर्मा)
मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांक– / 11–सी– FP / UP / Trans / 22022 / 2016, दिनांकित।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रभागीय वनाधिकारी, झाँसी एवं जालौन स्थान–उरई।
2. मुख्य प्रबन्धक, पावर ग्रिड कार्पो0 ऑफ इण्डिया लि0, झांसी।

(डा0 प्रशान्त कुमार वर्मा)
मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

Acy-1338